



सं/No.: S-1(38)/2008-PD

दिनांक/Dated: 04.04.2019

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admin.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं/पुष्पमातृएककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instit./Insts./Units

महोदय/श्री/ महोदया/Madam,

युद्धे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय श्रवण को अपरबी जानकारी, धारणाओं और अनुपालन के लिए अधिष्ठित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं./Sl. No.	कां. सं./सं. O.M. No.	विषय/Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक निकाष तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.04.2019 के कार्यालय श्रवण सं. 12/3/2018-जेसीए-2	संग्रह 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनावों के संबंध में केन्द्र सरकार के कार्यालयों का बंद रहना - सर्वेक्षण अवकाश प्रदान करने के संबंध में। Closing of Central Government Offices in connection with General Elections to Lok Sabha 2019 and General Election to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and Bye-elections to fill the clear vacancies in Assembly Constituencies of various States - Grant of Paid Holiday - regarding.

भवदीया/Your faithfully

(Signature)

फ.सं.12/3/2018-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक निकाष तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जेसीए-2) अनुभाग

गोपि कर्माक, नई दिल्ली
दिनांक 10 अप्रैल, 2019

कार्यालय-साधन

विषय लोक सभा 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनावों के संबंध में केन्द्र सरकार के कार्यालयों का बंद रहना- सर्वेक्षण अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

2019 में होने वाले लोक सभा, 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप-चुनावों के संबंध में अधोहस्ताक्षरों को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 के का.सा.सं. 12/14/99-जेसीए द्वारा पहले ही निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं जिनका राज्यों में औद्योगिक संस्थापकों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को बंद रहने के लिए अनुपालन किया जाना है:-

- ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों, में मतदान वाले दिन संबंधित कार्यालय/संगठन बंद रहेंगे जहां लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के आम चुनाव आयोजित होने हैं।
 - राज्य विधानसभा के लिए उप-चुनाव के संबंध में केवल ऐसे कार्यचारियों को मतदान वाले दिन विशेष आकरमिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो संगत निर्वाचन क्षेत्र में साप्ताहिक मतदाता हैं। ऐसे कार्यचारियों को भी विशेष आकरमिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी हैं और एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन वह आम चुनाव/उप-चुनाव होने वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी केन्द्र सरकारी संगठन/औद्योगिक संस्थापन में कार्यरत हैं।
2. उपर्युक्त अनुदेशों को सभी मंत्रालयों के संगठन में लया जाए।

(Signature)
(जुगनाल सिंह)
उप सचिव (जेसीए)

सेवा में,

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सलक्षता आयोग/निर्वाचक और महासंघ परीक्षा/प्रधानमंत्री कार्यालय/लोक सभा

सीएसआईआर - सीरी, पिलानी

सं. 19(2)/91-साधान्य

सभी सहकर्मियों की सूचनाएं एवं अनुपालन हेतु

- ⇒ सूचना पत्र
- ⇒ संरचना की वेब साइट

दिनांक: 03.05.2019

(Signature)
03/05/19